फार्म 'अ'
(परिपत्र दो-1 की कंडिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश -पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली के न्यायालय में मामला क्रमांक - ....202504250100070........ सन् 2024-2025
विषय - वृक्ष कटाई मामले की श्रेणी - अ-62
ग्राम - रानी उमरिया बंदोबस्त क्रमांक - .... पटवारी ह.नं. - 07 तहसील - मुंगेली
कलेक्टर का क्रमांक .... सन् 20.......................... अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन् 20........
तहसीलदार का क्रमांक .... सन् 20.......................... नायब तहसीलदार का क्रमांक ....सन् 20........

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षों,वकीलों, के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और पालन की तारीख
(1)	(2)	(3)
29.04.2025	• आवेदक संतोष कुमार चतुर्गोष्ठी, निवासी ग्राम रानी उमरिया, तहसील व जिला मुंगेली (छ.ग.) के द्वारा ग्राम रानी उमरिया की भूमि पर स्थित बास वृक्ष को काटने की अनुमति के संबंध मे सुशासन तिहार 2025 शिविर मे आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका आवेदन क्रमांक 25143812300142 है। सरपंच ग्राम पंचायत रानी उमरिया के द्वारा उक्त संबंध मे सहमति दी गयी। • आवेदक के आवेदन की जॉच हल्का पटवारी से करायी गयी। हल्का पटवारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन मे लेख किया गया है कि रानी उमरिया मे स्थित हायर सेकेण्ड्री स्कूल वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा पांचशाला मे खसरा नंबर 48 रकबा 7.972हे की भूमि जो छ.ग. शासन के नाम पर घास मद मे दर्ज है। स्कूल के पीछे लगे बास पेड़ शासकीय भूमि पर स्थित है। बास पेड़ स्कूल के दीवाल से लगा हुआ है। बासीन पेड़ को काटने पर स्कूल के पीछे के भूमिस्वामी दादूराम एवं शिवकुमार द्वारा आपत्ति नहीं होना बताया गया। • छ.ग.भू-राजस्व संहिता की धारा-240 के तहत ग्राम रानी उमरिया की भूमि ख.नं. 48 मे स्थित बास वृक्ष की कटाई की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :- ➢ वन विभाग अपनी निगरानी में सुरक्षा के समस्त उपाय सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त वर्णित वृक्ष को नियमानुसार कटवाने की कार्यवाही करेगा। ➢ वन विभाग द्वारा प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाऐगा। (हस्ताक्षर) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली (छ.ग.)	